शमनीय आपराधिक वादों के लोक अदालत में निस्तारण हेतु मानक संचालन प्रकिया/Standard Operating Procedure (SOP)

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय/मुख्य संरक्षक उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार समय–समय पर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इन राष्ट्रीय लोक अदालतों में प्रायः यह देखा गया है कि न्यायालयों में लम्बित शमनीय आपराधिक वादों का अपेक्षित निस्तारण नहीं हो पाता है।

लोक अदालतों का तात्पर्य मात्र मोटर चालानी अथवा लघु अपराधों का निस्तारण ही नहीं है, अपितु लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों को सुलह समझौते हेतु तैयार करके उनके मध्य सद्भाव स्थापित करते हुए न्यायालयों में लम्बित मामलों का समझौते के आधार पर निस्तारण कराना है।

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय/मुख्य संरक्षक, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज मिश्रा, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विगत राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित शमनीय आपराधिक वादों के निस्तारण पर विशेष बल दिया गया। अतः इस संबंध में समस्त जनपदों के सचिव एवं अध्यक्षगण, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से न्यायालयों में लम्बित शमनीय आपराधिक वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करने हेतु राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुरोध किया गया। इस संबंध में जनपद पीलीभीत में किया गया प्रयोग सार्थक रहा, जिसके आधार पर यह मानक संचालन प्रकिया निर्मित की जा रही है, जो निम्नवत् है–

1. उक्त प्रकिया के अन्तर्गत सर्वप्रथम समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लम्बित शमनीय आपराधिक वादों की पत्रावलियों को चिन्हित कर लिया जायेगा तत्पश्चात उक्त पत्रावलियों में अंकित मामलों को थानेवार वर्गीकृत कर लिया जायेगा। तत्पश्चात अभियुक्तगण एवं वादी मुकदमा दोनों को न्यायालय से नोटिस प्रेषित की जायेगी। अभियुक्तगणों को नोटिस/सम्मन न्यायालय के माध्यम से तथा वादी मुकदमा को थाने से नोटिस भेजा जायेगा।
2. इसके पश्चात मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों व प्रधान इत्यादि एवं मुख्य नगर आयुक्त/मुख्य नगर अधिकारी के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों के जन प्रतिनिधियों/सभासदों से यह अनुरोध किया जाये कि वह उक्त जन–प्रतिनिधियों को इस मुहिम में जोड़े जिससे कि वह जन प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को यह

समझाने का प्रयास करें कि छोटे–छोटे मामलों को ले करके लम्बे समय तक न्यायालयों के चक्कर लगाना कोई समझदारी का कार्य नहीं है, इससे उभयपक्षों का समय एवं धन दोनों ही बर्बाद होता है। अन्ततः यदि अभियुक्त को कुछ जुर्माना भी हो जाता है अथवा कुछ कारावास भी हो जाता है, तो इससे वादी मुकदमा को कुछ नहीं मिलता है और उनके आपसी सम्बन्ध हमेशा–हमेशा के लिये बिगड़ जाते हैं। इसके विपरीत यदि उनके मध्य समझौता हो जाता है तो उभयपक्षों के आपसी संबंध मधुर बने रहते हैं और किसी भी पक्ष के मध्य जय–पराजय का भाव नहीं आता है। इससे प्रकारान्तर में सामाजिक सौहार्द में वृद्धि होती है।

3. परम्परागत रूप से पंचायत का मौलिक कार्य ही यही होता था कि वह लोगों के मध्य के छोटे–छोटे विवादों को समझौते के आधार पर निपटा दें। अतः यदि पंचायत प्रतिनिधियों/जन प्रतिनिधियों को इस कार्य में शामिल किया जायेगा अथवा उनको यह बताया जायेगा कि वर्तमान न्याय प्रदत्तन प्रणाली में उनकी भूमिका को रेखांकित किया गया है तथा उनके महत्व को न्यायपालिका द्वारा भी अनुभव किया गया है, तो वह अपने आपको गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसके साथ ही साथ जन–प्रतिनिधियों/पंचायत प्रतिनिधियों को यह लाभ भी होगा कि यदि उन्होंने अपने क्षेत्र के कुछ परिवारों के मध्य इस प्रकार सुलह–समझौता करवाकर उनको मुकदमों से मुक्ति प्रदान कर दी है तो वह परिवार उन जन–प्रतिनिधियों के आभारी हो जायेंगे। इस प्रकार यह कार्य पंचायत राज व्यवस्था को और भी अधिक प्रभावी बनायेगा तथा इससे सामाजिक सौहार्द में वृद्धि होगी।

4. न्यायिक अधिकारियों/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पंचायत प्रतिनिधियों/जन–प्रतिनिधियों से सीधा सम्पर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अपितु, जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी, मुख्य नगर आयुक्त/मुख्य नगर अधिकारी के माध्यम से ही इन पंचायत प्रतिनिधियों को उक्त कार्य के लिये प्रेरित किया जाना अधिक उपयुक्त होगा।

5. इस कार्य में न्यायालय परिसर के अन्दर पक्षकारों की मध्यस्थता करने एवं आम जनता को समझाने–बुझाने हेतु स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष जो कि लम्बे न्यायिक अनुभव वाले वरिष्ठ नागरिक होते हैं, की सेवायें भी ली जा सकती हैं। इस उद्देश्य से स्थायी लोक अदालत के अध्यक्षगण को मध्यस्थता पर प्रशिक्षण भी प्रदान कराया जा सकता है अथवा विशेष प्रशिक्षकों से स्थायी लोक अदालत के अध्यक्षगण हेतु एक अथवा दो दिन की विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।

6. इस कार्य हेतु माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात स्थायी

लोक अदालत के अध्यक्षगण एवं सदस्यगण की भूमिका का पुनर्परिभाषन होगा। इससे स्थायी लोक अदालत के अध्यक्षगण एवं सदस्यगण को पर्याप्त कार्य मिल सकेगा तथा वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली में उनकी भूमिका और भी प्रभावी एवं महत्वपूर्ण हो जायेगी।

7. शमनीय आपराधिक वादों को चयनित कर पक्षकारों को नोटिस प्रेषित करके उनको समझाने–बुझाने का कार्य मात्र लोक अदालत के ठीक पहले करने से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, अपितु यह कार्य प्रत्येक सप्ताह में कोई एक दिन (यथा शनिवार) निश्चित करके किया जाना चाहिए अथवा प्रत्येक कार्य दिवस में न्यायालय इस कार्य के लिये अलग से समय निश्चित कर सकते हैं।

8. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शमनीय आपराधिक वादों के लोक अदालत में निस्तारण हेतु मात्र लोक अदालत वाले दिन नोटिस प्रेषित करके पक्षकारों को बुलाने से सफलता प्राप्त नहीं होगी। अपितु यह सतत् प्रक्रिया के रूप में चलाना होगा। पक्षकारों को एक बार, दो बार अथवा और भी अधिक बार बुलाकर उनको समझाना–बुझाना होगा। इस कार्य हेतु प्रत्येक न्यायालय को कुछ समय पृथक से समर्पित करना होगा। इस कार्य में प्रशिक्षित मध्यस्थ अथवा जज मध्यस्थ की प्रो–बोनो सेवायें भी प्राप्त की जा सकती हैं।

9. यही प्रक्रिया धारा–138 एन0आई0 एक्ट के उन मामलों में अपनायी जा सकती है, जिनमें चेक की धनराशि बहुत अधिक नहीं है। धारा–138 एन0आई0 एक्ट के मामलों में फाइनेन्स कम्पनियों के प्रतिनिधियों से वार्ता करके उनके द्वारा निर्गत चेक की धनराशि एवं अभियुक्त को बुलाकर वास्तविक रूप में बकाया धनराशि के मध्य कोई एक व्यवहारिक समझौता कराने का प्रयास किया जाये।

10. सुलह समझौते के इस कार्य में बार के सदस्यों का सहयोग भी लिया जा सकता है। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बार के सदस्यों को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि यदि उनके द्वारा इस प्रकार से मामलों का सद्भावपूर्वक निस्तारण कराया जायेगा तो जनता के मध्य उनकी छवि में निखार आयेगा।

11. इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालतों अथवा अन्य लोक अदालतों के पूर्व चिन्हित मामलों में जिनमें कि समझौता हो जाता है, उनमें समझौते की शर्तो को लेखबद्ध करके तथा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर कराने के पश्चात उन समझौते को न्यायालय द्वारा सत्यापित करा लिया जायेगा, तत्पश्चात उनको आगामी लोक अदालत में निस्तारित कर दिया जायेगा।

12. जनपद पीलीभीत में अभिनव प्रयोग करके यह देखा गया है कि शमनीय आपराधिक मामलों के पक्षकारों को समझौते हेतु समझाया–बुझाया जाये तो वह सुलह–समझौते हेतु तैयार हो

सकते हैं और वर्षो से लम्बित शमनीय आपराधिक मामले जो कि वास्तव में लघु प्रकृति के होते हैं, सुलह समझौते के आधार पर लोक अदालत में निस्तारित हो सकते हैं।

13. जनपद पीलीभीत में शमनीय अपराधों को लोक अदालत में सुलह–समझौते के आधार पर निस्तारित कराने हेतु निम्नलिखित कार्य प्रणाली अपनायी गयीः–

(i) सर्वप्रथम न्यायालय में लम्बित शमनीय अपराधों से संबंधित पत्रावलियों को चिन्हित कर लिया गया तत्पश्चात उन पत्रावलियों को थानेवार वर्गीकृत कर लिया गया।

(ii) शमनीय अपराधों से संबंधित अभियुक्तगणों एवं वादी मुकदमा को नोटिस प्रेषित कर उनको सुलह–समझौते हेतु न्यायालय में आहूत किया गया।

(iii) पत्रावलियों में अंकित पते के आधार पर वादी मुकदमा एवं अभियुक्तगणों के मध्य सुलह–समझौते हेतु जिला प्रशासन, मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य नगर अधिकारी से अनुरोध किया गया।

(iv) मुख्य विकास अधिकारी से यह अनुरोध किया गया कि वह ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों/ग्राम प्रधानों को प्रेरित करें कि वह अपने क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों को सुलह–समझौते हेतु समझायें जो कि शमनीय अपराधों के पक्षकार मुकदमा हैं।

(v) इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में मुख्य नगर अधिकारी से यह अनुरोध किया गया कि वह नगरीय क्षेत्रों के जन–प्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुलह समझौते हेतु प्रेरित करें।

(vi) जनपद न्यायालय पीलीभीत द्वारा लोक अदालत के दिन की प्रतीक्षा न करके लोक अदालत के आयोजन के पूर्व से ही प्रत्येक दिन सुलह–समझौता हेतु कुछ समय समर्पित किया गया तथा पक्षकारों को शमनीय वादों को सुलह–समझौते के आधार पर निस्तारण करने हेतु प्रेरित किया गया। रविवारीय अवकाश के दिन भी न्यायालय खोलकर सुलह–समझौते के आधार पर शमनीय वादों के निस्तारण हेतु पक्षकारों को आहूत कर मुकदमों का निस्तारण किया गया।

(vii) इस प्रकार विगत राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.05.2022 में जनपद पीलीभीत में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत योजित लगभग 500 शमनीय वादों को सुलह–समझौते के आधार पर निस्तारित किया गया।